


पहुंलाप मदीकेन उपस्थित/
वकील धर्मी द्वारा आवेदन
का जवाब देखा नहीं किया।
आपका आवेदन स्थि गये।

जुनि कुल वाद अदिशा 09
नियम 05 CrP का तहत अदालत
पक्षना में बारीय हो चुका है।
मिलिया पर आवेदन अभी तक
पर बारीय किया जाता है।
पक्षवकील मीरम जाल होकर
हालमें काम हो।


सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर